न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–44/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नवी खां पुत्र श्री घीसा जाति मेव निवासी ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

.....अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. मुहरू पुत्र श्री घीसा जाति मेव निवासी ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... असल रेस्पो0/वादी

2. जुहरू पुत्र श्री घीसा जाति मेव निवासी ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रति0/तरतीबी रेस्पो0

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ।

..... लैण्ड होल्डर तकमीली प्रति0

उपस्थित :–
1. श्री अमरसिंह यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री एम.पी.राजोरिया अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकसीम वो हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 128, 129, 130, 132 व 133 वाके ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । वादी व प्रतिवादीगण सगे भाई हैं । विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की जोइन्ट होल्डिंग की आराजी है । उक्त विवादित आराजी आम रास्ता जोहड़ से लगती हुई है जिसके पास में स्थित उक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात जो वादी व असल प्रतिवादीगण की शामलाती की आराजी है उसका आपस में हम भाईयों में घरेलू बंटवारा काफी अर्सा पहले कर लिया था जिस बंटवारे का अमल हाल रेकार्ड में भी दर्ज है और हक हिस्से में आयी आराजी पर वादी

30/11/17

व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे हैं । अब शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं है । इसलिए आराजी का बंटवारा किया जाने का निवेदन किया । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान तहत न्यायालय ने कैम्प बुटियाना में दोनों पक्षों को सुनकर दि0 26.5.2016 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 26.5.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जैर्य सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में अभी तक प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं हुआ है । कानूनन जब तक प्रतिवादीगण का जवाब दावा पत्रावली पर पेश नहीं हो तब तक कोई निर्णय अथवा डिक्री नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि आराजी ख0 नं0 128, 132, 133 ग्राम शीतल में दोनों पक्षों के द्धारा मकानात बनाकर रिहायश की हुई है । अतः इन खसरा नम्बरान को विभाजन किया जाना सम्भव नहीं है, शेष खसरा नम्बर 129 व 130 राजस्व रेकार्ड में अबट है ।

उन्होंने आगे बहस जारी रखते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी फाईडिंग में यह दर्ज किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 विवादित आराजी के 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार है किन्तु अपने निर्णय में इस बाबत कोई आदेश नहीं किया है कि विवादित आराजी में किस पक्ष का कितना हिस्सा है जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री में विवादित आराजी में प्रत्येक पक्ष का हिस्सा दर्ज किया जाना व उस हिस्से की बाबत प्रत्येक पक्ष को खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक था । इस प्रकार कानून अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निर्णय व डिक्री की तारीफ में नहीं आता है जो निरस्त योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस जवाब में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 विवादित आराजी के 1/3–1/3 भाग के सह खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट बुटियाना में दोनों पक्षों को सुनकर सह खातेदारों के मध्य दि0 26.5.2016 को जो प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये हैं वह सही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस परमनन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 विवादित आराजी के 1/3–1/3 हिस्से के सह खातेदार हैं । विद्धान तहत न्यायालय ने बुटियाना कैम्प कोर्ट में सह खातेदारों के मध्य जो प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसके अनुसार हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करके हिस्से अनुसार कुरे रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश जारी किये है ।

न्यायालय के मत में सह खातेदार को अपने हिस्से अनुसार आराजी में विभाजन कायम कराकर अलग से खाता व लगान कायम कराने के अधिकार हैं । इस निर्मित जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसमें हम किसी प्रकार की गलती नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 26.05.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर